

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु०नं०-17/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00033

उनवान -सरकार बनाम महावीरसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति जाट नि०किला बाडी जिला
धौलपुर प्रो०मैसर्स बैकुण्ठी डेयरी लाहोरिया रोड बाडी जिला धौलपुर
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ०एस०एस०
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -27.08.2020

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अजमेर ने अप्रार्थी श्री महावीरसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति जाट नि०किला बाडी जिला धौलपुर प्रो०मैसर्स बैकुण्ठी डेयरी लाहोरिया रोड बाडी जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2019 को अप्रार्थी की मैसर्स बैकुण्ठी डेयरी लाहोरिया रोड बाडी जिला धौलपुर का निरीक्षण करने के दौरान डेयरी में स्थित फ्रीजर में रखा लगभग 100 किलो ग्राम पनीर जो आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा था। अप्रार्थी के पास खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त पनीर में मिलावट का शक होने पर उक्त पनीर में से एक किलो ग्राम पनीर वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त एक किलो ग्राम पनीर नमूना डी-1641 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 एवं पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र की जांच रिपोर्ट दिनांक 6.12.2019 के अनुसार उक्त पनीर सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड पनीर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री महावीरसिंह पुत्र श्री रतनसिंह जाति जाट नि०किला बाडी जिला धौलपुर प्रो०मैसर्स बैकुण्ठी डेयरी लाहोरिया रोड बाडी जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 15,000/-रुपये (पन्द्रह हजार रू०) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेश के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट.